

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद



UPFD010027642014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
उपस्थितइफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
विशेष सत्र वाद सं० 255/2014

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- भूरा उर्फ भूपेन्द्र पुत्र राधेश्याम यादव उर्फ गोलइयाँ,
- 2- उमला यादव पुत्र साहब सिंह,
निवासीगण- ग्राम विजौली, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद।
- 3- बंगाली यादव पुत्र अमर सिंह, निवासी- ग्राम गुढा, थाना नसीरपुर,
जिला फिरोजाबाद।अभियुक्तगण।

धारा- 302 भा०द०सं० व

धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट,

थाना- खैरगढ, जिला- फिरोजाबाद,

मु०अ० सं०- 134/2014,

एवं



UPFD010027652014

विशेष सत्र वाद सं० 579/2014

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- भूरा उर्फ भूपेन्द्र पुत्र राधेश्याम यादव उर्फ गोलइयाँ, निवासी- ग्राम
विजौली, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद।अभियुक्त।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०स०सी०/ए०स०टी० ए०क्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

धारा- 4/25 आयुध अधिनियम,
थाना- खैरगढ, जिला- फिरोजाबाद,
मु०अ० सं०- 135/2014,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 255/14 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि का विचारण पुलिस थाना खैरगढ फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आरोप पत्र संख्या 33/14 दिनांकित 25.06.14 विरुद्ध अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र, उमला यादव एवं बंगाली यादव प्रदर्श क-5 के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
2. उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद में कथित रूप से अपराध करने में प्रयुक्त अवैध चाकू के संबंध में पुलिस थाना खैरगढ द्वारा मु०अ०सं० 135/2014 अंतर्गत धारा 04/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप पत्र सं० 26/14 दिनांकित 02.06.2014 के आधार पर संस्थित होकर किया गया। एक ही संव्यवहार में किये गये कथित अपराध के कारण सत्र परीक्षण सं 579/14 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि के साथ सत्र परीक्षण वाद सं० 579/2014 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव उपरोक्त का विचारण किया गया।
3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामभरोसे लाल पुत्र राजाराम जाटव पी०डबलू 1 द्वारा थानाध्यक्ष खैरगढ को प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.05.2014 प्रदर्श क-1 इस आशय का दिया गया कि ----

“मेरी पत्नी सूरजमुखी आम के पेड़ रखाने के लिए जंगल में रोजाना जाया करती थी। आज दिनांक 25-05-2014 को सुबह 10 बजे करीब रोजाना की तरह आम के पौधे रखाने के लिये गयी थी। आज शाम को करीब 05.30 बजे मेरा लड़का विजेन्द्र सिंह खेतों की तरफ गया तो मेरी पत्नी सूरजमुखी चरी के खेत में मृत अवस्था में पड़ी मिली। देखने से उसके शरीर में गर्दन पर व जांग पर व गुप्तांगों में चाकू से कटे हुये निशान थे ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गयी है। मेरे लड़के विजेन्द्र ने सभी घर वालों को बताया तो हम सभी लोग मौके पर पहुंचे तो मेरी पत्नी की किन्ही आज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। मैं सूचना को आया हूँ। मुकदमा लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। मेरी पत्नी की उम्र करीब 55 वर्ष है।”

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2014 को समय 20.15 बजे पंजीकृत की गई जो पत्रावली पर प्रदर्श क-18 है। उक्त की प्रविष्टि रोजनामचा आम में प्रविष्टि सं० 19 के रूप में तत्क्षण की गई। विवेचना अग्रसारित करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साक्षियों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र उपरोक्त प्रेषित किया गया।
5. अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव के संबंध में धारा 04/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत मु०अ०सं० 135/2014 दिनांक 01.06.2014 को पंजीकृत किया गया जिसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 38 प्रदर्श क-20 पंजीकृत की गई। विवेचना अग्रसारित करते हुए फर्द बरामदगी, नक्शानजरी, एवं साक्ष्यों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं० 26/14 दिनांकित 02.06.14 अंधा० 04/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया था।
6. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामला अनन्यतः सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।
7. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा सत्र परीक्षण सं० 255/14 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि, मु०अ०सं० 135/14 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष को आरोप के बिंदु पर सुनवाई का अवसर देने के उपरांत प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर आरोप विरुद्ध अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र, उमला यादव एवं बंगाली यादव, अंधा० 302 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट दिनांक 08.04.15 को विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारणकी मांग की।
8. इसी प्रकार सत्र परीक्षण वाद सं० 579/14 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव, मु०अ०सं० 135/2014 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष को आरोप के बिंदु पर सुना गया तथा प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर आरोप दिनांक 08.04.15 को अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव के विरुद्ध अंधा० 04/25 आयुध अधिनियम विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।
9. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूरेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(v) ए०सी०/ए०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूरेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 राम भरोसेलाल	वादी
2	PW-2 जयमाला	साक्षी
3	PW- 3 विजेन्द्र	साक्षी
4	PW- 4 डा० नवनीत कुमार जैन	वैजाइनल स्मीयर परीक्षणकर्ता
5	PW- 5 डा० योगेन्द्र सिंह	पोस्टमार्टमकर्ता
6	PW- 6 ए०ए० भारद्वाज	विवेचक
7	PW- 7 शैलेन्द्र सिंह	विवेचक
8	PW- 8 हेड का० बृजेश कुमार	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	वैजाइनल स्मीयर रिपोर्ट	प्रदर्श क- 2
3	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क- 3
4	नक्शा नजरी चाकू बरामदगी स्थल	प्रदर्श क- 4
5	आरोप पत्र मु०अ०सं० 255/14	प्रदर्श क- 5
6	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क- 6
7	पंचनामा मृतका	प्रदर्श क- 7
8	पत्र आर०आई०	प्रदर्श क- 8
9	पत्र सी०एम०ओ०	प्रदर्श क- 9
10	पत्र सी०एम०ओ०	प्रदर्श क- 10
11	फोटो नाश	प्रदर्श क- 11
12	चालान नाश	प्रदर्श क- 12

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

13	नमूना मोहर	प्रदर्श क- 13
14	फर्द खून आलूदा व सादा मिट्टी की नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 14
15	फर्द मृतका के बाल	प्रदर्श क- 15
16	फर्द मृतका के बाल	प्रदर्श क- 16
17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त	प्रदर्श क- 17
18	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 134/14	प्रदर्श क- 18
19	जी०डी० मु०अ०सं० 134/14	प्रदर्श क- 19
20	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 135/14	प्रदर्श क- 20
21	जी०डी० मु०अ०सं० 135/14	प्रदर्श क- 21

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित वस्तु प्रदर्श साबित किये गये-

वस्तु प्रदर्श-1 खून आलूदा मिट्टी, वस्तु प्रदर्श-2 प्लास्टिक की पन्नी, वस्तु प्रदर्श क-3 डिब्बी, वस्तु प्रदर्श-4 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-5 सादा मिट्टी, वस्तु प्रदर्श-6 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-7 डिब्बी, वस्तु प्रदर्श-8 सील्ड कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-9 पुड़िया A (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-10 पुड़िया B, वस्तु प्रदर्श-11 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-12 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-13 पुड़िया A (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-14 पुड़िया B (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-15 पुड़िया C (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-16 पुड़िया D (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-17 पुड़िया E, वस्तु प्रदर्श-18 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-19 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-20 बरामद चाकू, वस्तु प्रदर्श-21 सील कपड़े आदि।

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत विशेष सत्र परीक्षण वाद सं० 255/14 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि अंधा० 302 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र, उमला यादव एवं बंगाली यादव के बयान अंधा० 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये । अभियुक्तगण ने

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(v) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा स्वयं को निर्दोष और गाँव की पार्टीबन्दी व रंजिश के कारण फंसाना कहा। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

11. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

धारा 302 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई,
- (ii) यह कि ऐसा मृत्यु अभियुक्त द्वारा कारित की गई,
- (iii) यह कि कार्य, जिससे मृत्यु कारित की गई थी-
 - (अ) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था,
 - (ब) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कि अभियुक्त जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, या
 - (स) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कि वह शारीरिक क्षति, जिसे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या
 - (द) कार्य यदि किया गया हो, इतना आसन्न संकट होना चाहिए कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

धारा 3(2)v अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि-

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, -

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०स०सी०/ए०स०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

जाति या अनुसूजित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुमाने से दण्डनीय होगा।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 रामभरोसे को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मेरी पत्नी का नाम सूरजमुखी है। यह रोजाना आम के पेड़ रखाने जाती थी। घटना दिनांक 25-05-2014 की है। मेरी पत्नी सुबह 10.00 बजे रोजाना की तरह आम का पेड़ रखाने गयी थी। मेरे लड़के का नाम विजेन्द्र सिंह है। मेरे लड़के ने हम लोगों को बताया कि चरी के खेत में उसकी माँ मृत अवस्था में मिली थी। फिर हम सब लोग मौके पर पहुँचे थे। मेरी पत्नी के शरीर पर व गर्दन पर व जाँघ पर व गुप्तांगों में चाकू के केट हुये निशान थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी थी। मैंने सनौरा के विजेन्द्र सिंह से दो आम के पेड़ बटाई पर लिये थे। जिसकी देखभाल मेरी पत्नी करती थी। इस घटना से पहले मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि विजौली गाँव के बंगाली, उमला, भूरा उर्फ भूपेन्द्र जबरदस्ती आम तोड़ ले जाते हैं तथा गालियां भी देते थे। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा छोटी-मोटी बात पर लड़ना ठीक नहीं है। तब मेरी पत्नी ने कहा 3-4 आम की बात नहीं है, बोरी भर आम ले जाते हैं। मेरी लड़की का नाम जयमाला है। अपनी माँ की लाश देखकर मेरी लड़की बदहवास अवस्था में आ गयी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद मेरी लड़की ने बताया था कि घटना वाले दिन 3-4 बजे खेत में पेड़ों पर माँ को पानी देने गयी थी। उसकी माँ वहाँ नहीं मिली। मेरी लड़की के अंजू गयी थी। जब वह घर से चलने को हुई तब लड़कियो ने देखा कि चरी के खेत से भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला को खेत से निकलते देखा। भूरा के हाथ में चाकू था। मेरे लड़के विजेन्द्र सिंह ने उपरोक्त मुल्जिमानों को शराब पीते हुये देखा था। भूरा के हाथ में चाकू था। इस घटना की तहरीर वेदप्रकाश पुत्र फूलन सिंह से अज्ञात में लिखाई थी। मुझे पढकर सुनायी थी। जो कागज सं० 3 अ/2 है। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरे यहाँ रात को 09.30 बजे भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला आये थे। वह मुझे अकेले में ले गये और कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है। शराब के नशे में तुम्हारी पत्नी को चाकू से मार दिया है। तो मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि मेरी पत्नी को इन

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
घारा- 302 भा०दं०सं०,
व घारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
घारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

तीनों ने ही मारा है। मेरी पत्नी का पुलिस वालों ने पंचायतनामा मेरे सामने भरा था। जिस पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर भी करवाये थे।"

13. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 जयमाला को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 25-05-2014 की है। मेरी माँ का नाम सूरजमुखी है। मेरी माँ सुबह 10.00 बजे रोज आम के पेड़ की रखवाली करने खेतों में जाती थी। मैं उस दिन दिन के 3-4 बजे माँ को पानी देने गयी थी। मेरे साथ मेरी चचेरी बहिन संजू भई गयी थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी माँ मुझे वहाँ नहीं मिली तब मैं बाल्टी रखकर वापस जाने लगी तो पेड़ों के पास चरी के खेत में विजोला गाँव के भूपेन्द्र उर्फ भूरा, बंगाली व उमला खेत से निकले मैंने भूरा के हाथ में चाकू देखा था। ये मुल्जिमान मेरे गाँव में शराब पीकर घूमते रहते थे। जब माँ नहीं मिली तब मैं घर पर वापस आ गयी। मेरा भाई विजेन्द्र माँ को 5-6 बजे देखने गया था फिर मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मेरी माँ की लाश चरी के खेत में पड़ी है। फिर हम लोग भी माँ की लाश को देखने गये थे। मेरी माँ की हत्या भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला ने की थी।"

14. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 विजेन्द्र को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 25-05-2014 की थी। मैं शाम साढ़े पाँच बजे आम के पेड़ों की तरफ गया था वहाँ पास में चरी के खेत में मेरी माँ सूरजमुखी मृत पड़ी थी। उनके गुप्तांगों तथा शरीर पर चाकू के कट के निशान थे। मैंने घर आकर यह बात अपने पिता जी व घरवालों को बतायी थी। मुल्जिमान भूरा उर्फ भूपेन्द्र, उमला व बंगाली शराब पीकर पूरे गाँव में गुण्डागर्दी करते हैं। इन्होंने सन् 2006 में गाँव के दो लोगों की हत्या कर दी थी। उस केस में यह लोग पकड़े गये थे। यह तीनों लोग गुण्डे व बदमाश किस्म के हैं। इनके भय व आतंक की वजह से कोई बोलता नहीं है। इन तीनों ने ही आम तोड़ने को लेकर मेरी माँ की हत्या की थी। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने लिखाई थी।"

15. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 डा० नवीन कुमार जैन को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 27-05-14 को मैं जिला अस्पताल फिरोजाबाद में

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

पैथौलाजी विभाग में सीनिय पैथोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने इस केस की मृतक सूरजमुखी पत्नी रामभरोसेलाल की पी०एम० नं० 405/14 दिनांक 26-05-14 का वैजाइनल स्मीयर परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान कोई भी शुक्राणु नहीं पाया गया। मेरे द्वारा अपने हस्तेलख में तैयार की गयी। वैजाइनल स्मीयर रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है। जो कागज सं० 9 अ/3 है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर मेरे हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।"

16. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 26-05-2014 को मैं CHC सिरसागंज में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मृतका सूरजमुखी पत्नी रामभरोसेलाल के शव का शव विच्छेदन किया था। मेरे साथ महिला चिकित्सक भी मौजूद थी। मृतका के शव को सीलबंद थाना खैरगढ की पुलिस के विजेन्द्र सिंह व रामगोपाल लेकर आये थे। मृतका कि शिनाख्त उसके पति रामभरोसेलाल ने की थी। मृतका के शव की लम्बाई 152 से०मी०, औसत कद काठी की थी। मृतका के शव पर एक धोती, एक ब्लाउज, एक पेटिकोट, चार बिछुआ व दो पीले रंग रंग की कान की रिंग, एक नाक में लौंग तथा काँच की चूड़ी के टुकड़े मौजूद थे। शरीर में अकड़न गर्दन से पास होकर ऊपरी हिस्से एवं निचले हिस्से में तथा हाथ पैरों में मौजूद थी। मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई-

चोटें-

1. धारदार हथियार से कटे का घाव गर्दन में बांये कान से ग्यारह से०मी० मौजूद था। जिसका साइज 05X02X03cm था।
2. धारदार कटे का घाव साइज 04X02cm गर्दन में ऊपरी हिस्से पर माँस की गहराई तक था।
3. धारदार हथियार से कटे का घाव साइज 2.5X1cm गर्दन के दायी तरफ दाये कान से 4.5cm नीचे था।
4. धारदार हथियार से कटे का घाव 4.00X1.00cm गर्दन में दायी तरफ चोट संख्या तीन से बिल्कुल नीचे था।
5. धारदार हथियार से कटा घाव साइज 1.00X0.5cm दायी आँख में बिल्कुल पास था। खून का थक्का आँख में मौजूद था।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
घारा- 302 भा०दं०सं०,
व घारा 3(2)(v) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
घारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

6. नीलगू निशान (कन्दूजन) साइज 9X5cm छाती के दाहिनी तरफ दाये स्तन से आठ से०मी० नीचे था।
7. नीलगू निशान (कन्दूजन) साइज 10X5cm से०मी० बाये स्तन से बारह से०मी० नीचे था।
8. धारदार हथियार से काट घाव साइज 3X1cm से०मी० मृतका के गुप्तांग में बायी तरफ मौजूद था।
9. धारदार हथियार से फटा घाव साइज 4X5cm गुप्तांग में बायी तरफ था।
10. धारदार हथियार से कटा घाव साइज 3X2mX मसल डीप गुप्तांग के पास था।
11. खुरसट का निशान 3X3cm दायी फऔह पर अंदर की तरफ मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण- मस्तिष्क का वजन 1100 ग्राम था।, मस्तिष्क की झिल्लिया Pale, कंठनली व स्वर ग्रंथी फटी हुई थी और गर्दन के अंदर के टिशू फटे हुये थे। छाती में पसलियां लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 टूटी हुई थी। स्वाँस नली व खाने की नली भी घावग्रस्त थी। बाँया फेफड़ा भई लैसेरेटेड था। बड़ी रक्त वाहिनी घावग्रस्त लैसेरेटेड थी, पेट खाली थी, छोटी आँत में अधथपचा भोजन था तथा बड़ी आँत में पचा हुआ मल था, यकृत pale वजन 1200 ग्राम था। दोनों गुर्दे ple थे, जिसमें सीधे का वजन 150 ग्राम, बायें का वजन 100 ग्राम था। मूत्राशय खाली था। वैजाइनल स्मीयर तैयार कर परीक्षण हेतु पुलिस को दिया गया था। मृत्यु का समय लगभग एक दिन पुराना था।

मृतका की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्तस्राव और शाक के कारण था। अत्याधिक रक्तस्राव मृतका के शरीर पर आयी मृत्यु पूर्व आयी चोटों कटे हुए घावों के कारण हुई थी। मृतके के शीरर पर मृत्यु से पूर्व जो कटे हुए घाव थे वह धारदार हथियार चाकू से आना संभव था। मैंने मौके पर ही अफने हस्तलेख व हस्ताक्षर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।"

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

17. अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 8 HC 1039 बृजेश कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 8 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 25-05-2014 को थाना खैरगढ में बतौर सी०सी० तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा रामभरोसेलाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 134/2014, धारा 302 भा०द०सं० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ०आई०आर मेरे द्वारा किता की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 चिक एफ०आई०आर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-18 डाला गया, जिसका खुलासा मैंने रोजनामचाआम में उसी दिन रपट नं० 34 समय 20.15 बजे पर किया था। पत्रावली पर मौजूद नकल जी०डी० कागज सं० 10 ब/4 असल जी०डी० में हूबहू है। असल जी०डी० मैं साथ लेकर आया हूँ, जिससे मिलना कर मैं इसे प्रमाणित करता हूँ, इस प्रदर्श क-19 डाला गया। दिनांक 01-06-2014 को मैंने वादी मुकदमा शैलेन्द्र सिंह यादव थाना खैरगढ द्वारा फर्द बरामदगी एक अदद चाकू नाजायज आला कत्ल सम्बन्धित मु०अ०सं० 134/2014, धारा 302 भा०द०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना खैरगढ अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र की फर्द के आधार पर मु०अ०सं० 135/14, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना खैरगढ पर कायम किया गया था, जिसकी चिक एफ०आई०आर मेरे द्वारा किता की गयी थी, पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-20 डाला गया, जिसका खुलासा मैंने रोजनामचा आम में उसी दिन एक ही क्रम में रपट नं० 21 समय 09.30 बजे किया था। असल जी०डी० आज मैं साथ लेकर आया हूँ, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर कागज सं० 6 ब/2 के रूप में मौजूद है। असल जी०डी० को देखकर मैं इसे प्रमाणित करता हूँ, इस पर प्रदर्श क-21 डाला गया।

18. बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है- नरेन्द्र सिंह उर्फ नंगा बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2013 (83) ACC 526 इलाहाबाद उच्च न्यायालय । ससम्मान अध्ययन किया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

19. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी की पत्नी की साशय यह जानते हुए की वह अनुसूचित जाति सदस्य है, हत्या कारित किया। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका सूरजमुखी के पति रामभरोसेलाल पी०डब्लू० 1 द्वारा थानाध्यक्ष खैरगढ फिरोजाबाद को दी गयी। लिखित तहरीर दिनांक 25-05-2014 के आधार पर पंजीकृत की गयी, तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादी (Informant) रामभरोसेलाल की पत्नी सूरजमुखी आम के पेड़ की रखवाली के लिए प्रतिदिन जंगल में जाया करती थी। 25-05-2014 को प्रातः 10.00 बजे वादी की पत्नी आम के पेड़ की रखवाली के लिये गयी थी। उसी दिन सांयकाल में लगभग 05.30 बजे वादी पी०डब्लू० 1 का लड़का विजेन्द्र सिंह खेतों की ओर गया। वादी की पत्नी सूरजमुखी चरी के खेत में मृत अवस्था में पड़ी मिली। देखने से पता चला उसके शरीर में, गर्दन पर, जाँघ पर, गुप्तांगों पर चाकू से कटे हुए निशान थे। वादी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गयी है। वादी के लड़के विजेन्द्र ने सभी घर वालों को बताया। सभी घरवाले मौके पर गये। मृतका की किन्हीं अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल ने भी शपथपूर्वक बयान में कहा कि उक्त तहरीर वेदप्रकाश पुत्र फौरन सिंह से लिखवाकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखवाई गयी। तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 हेड का० 1039 बृजेश ने भी शपथपूर्वक बयान में कहा कि मैं दिनांक 25-05-14 को थाना खैरगढ पर का० क्लर्क तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा रामभरोसेलाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 134/2014, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात पंजीकृत की गयी। जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने किता किया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान साक्षी ने किया, जिस पर प्रदर्श क-18 डाला गया। उक्त की प्रविष्टि रोजनामचाआम में उसी दिन रपट सं० 34 के रूप में समय 210.15 पर की गयी। उक्त जी०डी० प्रदर्श क-19 के रूप में साबित किया गया। दिनांक 01-06-14 को थानाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सिंह यादव द्वारा थाना खैरगढ द्वारा फर्द बरामदगी बाबत एक चाकू नाजायज आला कत्ल सम्बन्धित मु०अ०सं० 134/2014, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट अभियुक्त

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

भूरा उर्फ भूपेन्द्र के विरुद्ध फर्द अ०सं० 135/14 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना खैरगढ पर कायम की गयी, जिसकी चिक एफ०आई०आर पत्रावली पर मौजूद है तथा साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-20 डाला गया। उसकी प्रविष्टि रोजनामचा आम में रपट सं० 21 के रूप में 09.30 पर की गयी। उक्त रोजनामचा आम पत्रावली पर प्रदर्श क-21 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 37/14 दिनांक 25-05-14 को समय 20.15 पर पंजीकृत की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने और किये जाने में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। घटना स्थल का नक्शा नजरी विवेचक पी०डब्लू० 6 द्वारा दिनांक 25-05-14 को तैयार किया गया। जो पत्रावली पर प्रदर्श क-6 है। उक्त नक्शा नजरी में अक्षर "A" से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर मृतका का शव चरी के खेत में पड़ा था। उक्त चरी का खेत विजेन्द्र सिंह का था। उसके दाहिनी ओर पूरब दिशा में खेत चन्द्रभान है, बांयी दिशा अर्थात् पश्चिम दिशा में विजेन्द्र का खाली खेत है। "A" स्थान के दक्षिण तरफ आम के पेड़ों का दर्शाया गया है। नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 दिनांक 03-06-2014 को तैयार किया गया है। जिसमें "A" स्थान पर अभियुक्त की गिरफ्तारी का होना तथा चाकू बरामद होना दर्शाया गया है। मृतका श्रीमती सूरजमुखी पत्नी रामभरोसेलाल के शव का पंचनामा दिनांक 25-05-14 को पंचों की उपस्थिति में तैयार किया गया। पंचनामा समय 10.40 पर समाप्त किया गया। पंचों की राय में मृतका श्रीमती सूरजमुखी की मृत्यु चाकू की चोटों के कारण हत्या से हुई थी। मृतका की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने कि राय दी दयी। उक्त पंचनामा एस०आई० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भरा गया। प्रदर्श क-8 रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक है। प्रदर्श क-9 व 10 रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधीकारी है। प्रदर्श क-11 फोटो नाश मृतका है। चालान नाश प्रदर्श क-12 व नमूना मोहर प्रदर्श क-13 है। पत्रावली पर मृतका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सं० 405/14 प्रदर्श क-3 है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम डा० योगेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 26-05-14 को समय 12.00 बजे दोपहर में किया गया। उक्त शव को का० पुलिस 248 विजेन्द्र सिंह और का० पुलिस 1546 रामगोपाल द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। शव की पहचान वादी मुकदमा रामभरोसे ने किया। पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई-

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सं०सी०/ए०सं०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

Ante Mortem Injuries –

- 1– Incised wound 5x2 cm x 3 cm on left side
Neck 11 Cm from Left ear lob.
- 2– Incised wound 4x2 cm upper part of neck
muscle deep slightly lateral .
- 3– Incised wound 2.5cm x 1 cm Right of Neck 4.5 cm blow
from Rt ear.
- 4– Incised wound 4x 1 cm Rt side of Neck 3 cm below from
injury no 3.
- 5– Incised wound 1x0.5 cm Rt ey near the eye Canthus
Blood Clot in eye.
- 6– Contusion Rt Chest 9x5 cm, 8 cm below from Rt Nipple.
- 7– Contusion on Lt side of chest size 10x5 cm, 12 cm below
from left nipple.
- 8– Incised wound 3x1cm Muscle deep on to vagina Just
lateral to vagina.
- 9– Incised wound 4x 0.5 cm x 1 cm on left side of labia.
- 10– Incised wound 3x2 cm on perinium muscle deep.
- 11– Abrasion 3x3 cm on Rt thigh medially middle of thigh.

CAUSE OF DEATH–

Shock & Haemorrhage due to ante mortem injuries and
lacerated lung left side

Due to anti mortem injuries.

मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण शाक और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई। अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव से एक अवैध चाकू के सम्बन्ध मु०अ०सं० 135/14, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद में थानाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सिंह यादव द्वारा पंजीकृत करायी गयी। दिनांक 01-06-14 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक-8 जिसको पत्रावली पर रपट सं० 21 के रूप में 09.30 पर की गयी जो पत्रावली पर प्रदर्शक-21 है।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

प्रस्तुत मामला वस्तुतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। घटना के सम्बन्ध में आज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वादी रामभरोसेलाल पी०डब्लू० 1 मृतका सूरजमुखी का पति है। तहरीर प्रदर्श क- 1 वेदप्रकाश नामक व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दी गयी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 के रूप में रामभरोसेलाल को प्रस्तुत किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि "मेरी पत्नी का नाम सूरजमुखी है। यह रोजाना आम के पेड़ रखाने जाती थी। घटना दिनांक 25-05-2014 की है। मेरी पत्नी सुबह 10.00 बजे रोजाना की तरह आम का पेड़ रखाने गयी थी। मेरे लड़के का नाम विजेन्द्र सिंह है। मेरे लड़के ने हम लोगों को बताया कि चरी के खेत में उसकी माँ मृत अवस्था में मिली थी। फिर हम सब लोग मौके पर पहुँचे थे। मेरी पत्नी के शरीर पर व गर्दन पर व जाँघ पर व गुप्तांगों में चाकू के केट हुये निशान थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी थी। मैंने व सनौरा के विजेन्द्र सिंह से दो आम के पेड़ बटाई पर लिये थे। जिसकी देखभाल मेरी पत्नी करती थी। इस घटना से पहले मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि विजौली गाँव के बंगाली, उमला, भरा उर्फ भूपेन्द्र जबरदस्ती आम तोड़ ले जाते हैं तथा गालियां भी देते थे। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा छोटी-मोटी बात पर लड़ना ठीक नहीं है। तब मेरी पत्नी ने कहा 3-4 आम की बात नहीं है बोरी भर आम ले जाते हैं। मेरी लड़की का नाम जयमाला है। अपनी माँ की लाश देखकर मेरी लड़की बदहवास अवस्था में आ गयी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद मेरी लड़की ने बताया था कि घटना वाले दिन 3-4 बजे खेत में पेड़ों पर माँ को पानी देने गयी थी। उसे उसकी माँ वहाँ नहीं मिली। मेरी लड़की के अजू गयी थी। जब वह घर से चलने को हुई तब लड़कियो ने देखा कि चरी के खेत से भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला को खेत से निकलते देखा। भूरा के हाथ में चाका था। मेरे लड़के विजेन्द्र सिंह ने उपरोक्त मुल्जिमानों को शराब पीते हुये देखा था। भूरा के हाथ में चाकू था। मेरे यहाँ रात को 09.30 बजे भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला आये थे। वह मुझे अकेले में ले गये और कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है। शराब के नशे में तुम्हारी पत्नी को चाकू से मार दिया है। तो मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि मेरी पत्नी को इन तीनों ने ही मारा है। मेरी पत्नी का पुलिस वालों ने पंचायतनामा मेरे सामने भरा था। जिस पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर भी करवाये

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(v) ए०सं०सी०/ए०सं०टी० ए०क्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

थे।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरी तीन बेटियां हैं। उनके नाम बेबी, निर्मला व जयमाला है। जयमाला को छोड़कर दोनों की शादी हो चुकी है। जयमाला मेरे पास रहती है। जयमाला के साथ जो अंजू नाम की लड़की गयी थी वह मेरी बेटि बेबी की लड़की थी। जयमाला के साथ मंजू भी गयी थी। मैंने यह बात रिपोर्ट में नहीं लिखाई थी। दरोगा जी को यह बात नहीं बतायी थी। यह बात पहली बार बतायी है। मेरे गाँव के भूप सिंह पुत्र बनवारी के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरी ही बिरादरी के है। उनके यहाँ हमारे परिवार का आना जाना है। भूपति की लड़की मेरी बेटि जयमाला की सहेली है। चरी का खेत जिसमें मेरी पत्नी की लाश मिली, ठाकुर विजेन्द्र सिंह सनौरा वालों का है। ----- चरी का खेत रखवाली वाले आमों से उत्तर दिशा में है और पास मे ही है। 3-4 मीटर की दूरी पर है। ----- घटना वाले दिन मैं शादी से लौटा था। यह शादी मेरे चचेरे भाई की थी। विजेन्द्र भी मेरे साथ लौटा विजेन्द्र मेरा बेटा व मैं शाम को एक दिन पहले गये थे और घटना वाले दिन दो बजे दिन में आ गये थे।-----आम के पेड़ गाँव से पूर्व दिशा में करीब एक किलोमीटर दूर हैं। अग्रेतर जिरह में कहा कि कभी-कभी मैं भी आम रखाने चला जाता था। वैसे सामान्य रूप से मेरी पत्नी ही रखाती थी। विजौली गाँव मेरे गाँव से करीब एक किलोमीटर दूर है, दक्षिण दिशा में है। मेरी बेटि जयमाला पानी देने जाती थी। रोजाना नहीं जाती थी, कभी-कभी पत्नी स्वयं पानी ले जाती थी। रिपोर्ट मैंने वेदप्रकाश से लिखवाकर जो मेरे गाँव के हैं, से लिखवायी थी। मुल्जिमान जबरदस्ती आम तोड़ लेते थे। इसकी कभी कोई रिपोर्ट या शिकायत मैंने पुलिस में या किसी अधिकारी से नहीं की। घटना के 2-4 दिन पहले मुझे बताया था। मुल्जिमान बंगाली, भूपेन्द्र, उमला ने आम तोड़े थे। मेरी पत्नी की लाश का पंचनामा 09.00 बजे रात्रि को भरा गया था तथा 10.40 बजे लाश सील करके पोस्टमार्टम को भेजी गयी। मैं इण्टर तक पढा हूँ। रिपोर्ट कराने के बाद हम लोग घर वापस आये थे। रिपोर्ट बाद में दर्ज करायी थी लाश का पंचनामा पहले हुआ था। अग्रेतर कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद थाने पर मुझसे पूछताछ की थी। रिपोर्ट दर्ज कराने मेरा बेटा विजेन्द्र थाने मेरे साथ गया था। जब दरोगा ने पूछताछ की थी। तब विजेन्द्र भी मेरे साथ था।----- रिपोर्ट लिखाते समय तक मुझे यह जानकारी नहीं हुई थी कि किस अभियुक्त ने यह घटना की है और किसी पर उस समय संदेह भी नहीं हुआ था। पंचनामा के समय मेरे दस्तखत कागजों

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(v) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

पर कराये गये थे। पंचनामों के समय मैं व मेरा बेटा मौजूद था। पंचनामों की लिखा-पढी थाने पर हुई थी। फिर कहा खेत पर हुई थी। मुझे याद नहीं कि पुलिस ने पंचनामों के समय कुछ बरामद किया था या नहीं। मेरी पत्नी की मुट्ठी में उस समय बाल मिले थे। घटना के अगले 10 दिन तक मैं व मेरा बेटा विजेन्द्र, बेटी जयमाला घर पर ही मौजूद रहे। इस 10 दिन के दौरान जयमाला ने मुझे इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। घटना के 15 दिन बाद जयमाला ने मुझे बताया था कि जब मैं घटना के दिन जब माँ न मिली तो पानी रखकर चली तो देखा कि बंगाली, भूरा व उमला चरी के खेत में से निकल रहे थे। मेरा घर गाँव के अंदर है। भूप सिंह का घर मेरे घर के बगल में है। मैं बंटू यादव, सुनील नट, कुँवरपाल ठाकुर के लड़के जो सनौरा के रहने वाले हैं, को जानता हूँ। इनका भूप सिंह के यहाँ आना जाना है या नहीं यह नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मुझसे बाद में पूछताछ की थी यह इसके 10-15 दिन बाद की थी। दरोगा जी पंचनामा वाले दिन के बाद मुझे कभी भी घटना स्थल पर ले कर नहीं गये। आखिरी बार पूछताछ के समय मैंने मुल्जिमान के नाम दरोगा जी को बताये थे। आखिरी बार पूछताछ थाने पर बुलाकर की थी। घटना स्थल पर आम के केवल दो पेड़ थे। दोनों पेड़ों पर फल लगे थे, यह बात मैंने दरोगा जी को नहीं बतायी। अग्रेतर कहा कि मेरी पत्नी रोजाना 10.00 बजे पेड़ रखाने जाती थी। 10.00 बजे से पहले पेड़ों को कोई नहीं रखाता था। वह शाम को 5-6 बजे तक आम के पेड़ रखाती थी। ये पेड़ बटाई पर लिये थे। इन आमों में से आधे फल हमारे होते और आधे फिर आम वालों के थे। मुल्जिमान आम तोड़कर ले गये यह बात आम मालिक को नहीं बतायी। मेरी लड़की घटना वाले दिन बेहोश हो गयी थी। माँ की लाश देखकर घबरा गयी थी। मैंने डाक्टर को अपनी लड़की को नहीं दिखाया था। 2-3 घण्टे बाद होश में आ गयी थी। दरोगा जी ने होश में आने के बाद मेरी लड़की से कोई पूछताछ नहीं की मुझसे की थी।-----
अंजू से दरोगा जी ने कोई पूछताछ नहीं की थी। विजेन्द्र की सूचना पर हम सभी घरवाले घटना स्थल पर गये थे। मेरी पत्नी के कपड़े खून से सने थे। लाश देखकर गाँव चौकीदार ने थाने फोन कर दिया था। तुरन्त ही पुलिस आ गयी थी। थाना चार किलोमीटर दूर है। लाश को घर पर नहीं लाये थे। मेरी पत्नी के हाथ में जो बाल थे वह दरोगा जी ने कब्जे में लेकर पुड़िया बनाकर अपने पास रख लिये थे। घटना स्थल जहाँ लाश मिली थी। वह जगह मैंने

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

देखी थी। वहाँ चरी टूटी थी। दरोगा जी ने टूटी चरी देखी थी। अग्रेतर कहा कि यह कहना गलत है कि मेरे परिवार से सनौरा के बन्टी यादव, सुनली नट की ज्यादा घनिष्टता है और पुत्री जयमाला और भूपति की लड़की की घनिष्टता मेरी पत्नी को पसंद न आती हो। यह भी कहना गलत है कि बन्टी, सुनील व कुंवरपाल के लड़के से मेरी पुत्री व भूपति की लड़की के गलत संबन्ध हो और इसमें मेरी पत्नी बाधा बनती थी इसलिये उन्होंने ही मेरी पत्नी की हत्या की हो तथा मुल्जिमान को गांव की रंजिश की वजह से झूठा फंसाया हो।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 जयमाला पुत्री रामभरोसीलाल

मृतका सूरजमुखी की पुत्री है। इस साक्षी ने अपने बयान में कहा कि-

"घटना दिनांक 25-05-2014 की है। मेरी माँ का नाम सूरजमुखी है। मेरी माँ सुबह 10.00 बजे रोज आम के पेड़ की रखवाली करने खेतों में जाती थी। मैं उस दिन दिन के 3-4 बजे माँ को पानी देने गयी थी। मेरे साथ मेरी चचेरी बहिन संजू भई गयी थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरी माँ मुझे वहां नहीं मिली तब मैं बाल्टी रखकर वापस जाने लगी तो पेड़ों के पास चरी के खेत में विजोला गाँव के भूपेन्द्र उर्फ भूरा, बंगाली व उमला खेत से निकले मैंने भूरा के हाथ में चाकू देखा था। ये मुल्जिमान मेरे गांव में शराब पीकर घूमते रहते थे। जब माँ नहीं मिली तब मैं घर पर वापस आ गयी। मेरा भाई विजेन्द्र माँ को 5-6 बजे देखने गया था फिर मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मेरी माँ की लाश चरी के खेत में पड़ी है। फिर हम लोग भी माँ की लाश को देखने गये थे। मेरी माँ की हत्या भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला ने की थी।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मुझे दिनांक 25-05-14 को दिन में माँ की हत्या होने की जानकारी हुई। यह जानकारी मेरे भाई विजेन्द्र ने दी थी। भाई ने मेरी माँ की हत्या होने की खबर घर पर आकर दी। जानकारी मिलने के बाद मैं मेरे घर वाले खेत पर पहुंचे थे। खबर मिलने के आधा घण्टा बाद खेत पर पहुंच गये थे। तब वहां पुलिस नहीं थी। मैं नहीं बता सकती कि पुलिस वहां कितनी देर बाद आई होगी। क्योंकि माँ की हत्या के बाद मैं बेहोश हो गयी थी। घटना वाले दिन माँ को देखने के बाद मुझे 30 तारीख को होश आया। देखते ही बेहोश हो गयी थी। 30 तारीख को शाम को समय होश आया था। उसी दिन मेरा बयान हुआ था। दरोगा जी को सारी बात मैंने बता दी थी। जब मैं घटना स्थल पर पहुंची थी तब मेरे पिता जी नहीं थे। मैंने 30

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

तारीख को ही पिता जी को यह बात बतायी थी। विजेन्द्र को भी मैंने घर पर आकर बताया था। संजू जो मेरे साथ उस दिन जब माँ को पानी देने गयी थी तो वह मेरी बहिन बेबी की लड़की है। मैंने दरोगा जी को बताया था कि मेरे साथ मेरी बहिन की बेटी संजू गयी थी। मैंने दरोगा जी को संजू के बारे में अपनी बहिन की बेटी होना बताया था। यदि कुछ और लिखा हो तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकती। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरी माँ रोजाना आमों के पेड़ की रखवाली करने जाती थी। कभी मैं जाती थी कभी कभी और लोग भी चले जाते थे। मेरी माँ सुबह 10.00 बजे जाती थी। शाम को 05.00 बजे वापस आती थी। उसके आने के बाद पेड़ों की रखवाली कोई नहीं करता था। आम के पेड़ घर से आधा किलोमीटर दूर हैं। आम के पेड़ों से मेरी माँ की लाश थोड़ी दूर पर पड़ी मिली। ----- मैंने माँ की लाश देखी थी। देखते ही बेहोश हो गयी थी। लगभग 10-12 कदम पर खेत से दूर मेरी माँ की लाश पड़ी थी। माँ के शरीर पर आई चोटें मैंने नहीं देखी थी। मैं तो बाल्टी रखकर चली आई थी। वह बाल्टी आज तक मैंने फिर कभी नहीं देखी। ----- भूप सिंह का मकान हमारे मकान के बगल में है। आम के पेड़ किसके थे यह मुझे नहीं पता है। जब मैं माँ को पानी देकर खेत से वापस आयी थी तब मेरा भाई विजेन्द्र घर पर मिला था। मुझे ध्यान नहीं है कि बेहोशी के दौरान किसी डाक्टर के यहाँ इलाज हुआ था या नहीं ? इलाज बेहोशी के दौरान नहीं हुआ। मैं बंटू यादव, सुनली नट, कुंवरपाल ठाकुर का लड़का जो सनौरा के रहने वाले हैं और निशा के घर आते जाते थे मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। यह कहना गलत है कि भूपति की लड़की मेरी सहेली हो उसके यहाँ बंटू यादव, सुनील नट व कुंवरपाल ठाकुर का लड़का जो सभी सनौरा के रहने वाले हैं, निशा के घर आते जाते हो और उनके मुझ और निशा से गलत संबंध है, जिससे मेरी माँ को आपत्ति हो और इसी कारण मेरी माँ की हत्या हुई हो। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि भूरा, बंगाली, उमला को जानती हूँ। मेरी माँ की जब से हत्या की है तब जानती हूँ। उससे पहले नहीं जानती थी। गाँव के आस-पास शराब पीकर घूमते रहते थे। मैं जानती नहीं थी, देखा था। मैं उनके नाम नहीं जानती थी। उसी दिन मुझे इन लोगों का नाम पता चला था। उनके नाम मेरे पिता जी जानते थे, उन्होंने बताया थे। मेरे पिता जी मुझे घर पर मिले थे। घर पर उन्होंने नाम बताये थे। फिर मैंने अपने पिता जी को बता दिया था कि इन लोगों ने ही माँ को मारा

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सं०सी०/ए०सं०टी० ए०क्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

है। मैं करीब 3-4 बजे अपनी माँ को पानी देने गयी थी। मैं 3-4 बजे अम्मा को पानी देने गयी थी। मुझे मेरी माँ वहां नहीं मिली। फिर मैं लौटकर अपने घर आ गयी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि उस दिन जब मेरी माँ खत्म हुई थी मेरे भाई ने मुझे बताया था। जैसे ही मैंने सुना मेरी अम्मा खत्म हो गयी है। मैं तुरन्त बेहोश हो गई। मेरे भाई ने शाम को 06.00 बजे बताया था कि अम्मा खत्म हो गयी है।-----करीब 4-5 दिन पहले भूरा, बंगाली व उमला को शारब पीते हुये देखा था। मैंने उनको शराब पीते हुये नहीं देखा था गांव में घूमते हुये देखा था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ करने आये थे।----- मुझे नहीं मालूम कि निशा किस किस से मिलती थी। निशा मेरे साथ खेत पर भी नहीं जाती थी।----- भूरा के हाथ में चाकू, बंगाली के हाथ में क्या था, उमला के हाथ में क्या था यह भी मैंने नहीं देखा। मैं बन्टू यादव, सुनील नट व कुंवरपाल के लड़के को नहीं जानती हूँ। यह कहना गलत है कि मैं बन्टू यादव, सुनील नट व कुंवरपाल ठाकुर के लड़के को जानती हूँ और वे लोग मुझसे व निशा से मिलने आते हो। यह भी कहना गलत है कि हम लोगों को मिलते हुए मेरी माँ ने देख लिया हो और इसी कारण मेरी माँ का विरोध करने पर उपरोक्त बन्टू यादव, सुनील नट व कुंवरपाल ठाकुर के लड़के ने मिलकर मेरी माँ की हत्या कर दी हो। यह भी कहना गलत है कि अपनी बदनामी से बचने के लिए तथा उपरोक्त लड़को को बचाने के लिए मैंने उस दिन अपने पिता को सही बात न बताई हो।

अभियोजन साक्षी पी०डबलू० 3 विजेन्द्र मृतका सूरजमुखी के सुपुत्र है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि-

"घटना दिनांक 25-05-2014 की थी। मैं शाम साढ़े पाँच बजे आम के पेड़ों की तरफ गया था, वहाँ पास में चरी के खेत में मेरी माँ सूरजमुखी मृत पड़ी थी। उनके गुप्तांगों तथा शरीर पर चाकू के कट के निशान थे। मैंने घर आकर यह बात अपने पिता जी व घरवालों को बतायी थी। मुल्जिमान भूरा उर्फ भूपेन्द्र, उमला व बंगाली शारब पीकर पूरे गाँव में गुण्डागर्दी करते हैं। इन्होंने सन् 2006 में गाँव के दो लोगों की हत्या कर दी थी। उस केस में यह लोग पकड़े गये थे। यह तीनों लोग गुण्डे व बदमाश किस्म के हैं। इनके भय व आतंक की वजह से कोई बोलता नहीं है। इन तीनों ने ही आम तोड़ने को लेकर मेरी माँ की हत्या की थी। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता ने लिखाई थी।" प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना के दिन मैं बारात से 12.00 बजे घर

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

लौटकर आया था। मेरे चाचा कमलेश की बारात गयी थी। चाचा मुझसे बड़े हैं। बरात जसराना के पास गयी थी। ----- बिदाई 25-05-2014 को दोपहर में करीब ग्यारह बजे हुई थी।----- घर पर आकर नहा-दोधर सो गये थे। मैं करीब 2-3 घण्टा सोया था। मैं शाम को करीब पाँच बजे जागा था और उसके बाद पेड़ों की तरफ गया था। मैंने अपनी माँ को आस-पास पेड़ों में देखा था। तो नहीं मिली थी। फिर मैं चरी के खेत में घुसकर गया तो वहाँ मेरी माँ मुझे मृत अवस्था में मिली थी। उनके शरीर पर चाकू के निशान थे। घटना स्थल पर मेरी माँ के शव के अतिरिक्त अन्य कोई सामान नहीं था। घटना स्थल पर हमारा कोई खेत नहीं है। हमने किसी व्यक्ति के आम के पेड़ ले लिए थे जिन्हें हम रखाते थे। हम पाँच भाई हैं। एक भाई मुझसे बड़े हैं और तीन छोटे हैं। हम सभी भाई बारात में गये थे। पिता जी भी बारात में गये थे। हमारे तीन बहिन हैं। घटना के समय दो की शादी हो गयी थी तथा एक अविवाहित थी। घटना स्थल पर मैं करीब 20 मिनट रुका था। उसके बाद लौटकर अपने घर आ गया था। खेत से करीब 5 मिनट में घर पहुँच गया था और पिता जी को बताया था। सभी लोग घटना स्थल खेत पर परिवारीजन घटना स्थल खेत पर गये थे। फिर एक-डेढ़ घण्टा खेत पर रहे। फिर डेढ़ घण्टे बाद पुलिस माँ की लाश को लेकर आई। मुझे नहीं पता सूचना किसने दी। मैं पढा लिखा नहीं हूँ। मैं दिशाएं जानता हूँ। घटना स्थल के दक्षिण में विजेन्द्र का खेत है, उन्हीं के खेत में घटना हुई थी। घटना स्थल के दक्षिण में चन्द्रभान का खेत, उत्तर में किसका खेत है नहीं मालूम। पूरब-पश्चिम में किसका खेत है नहीं मालूम। जिस समय घटना स्थल पर पहुंचे उस समय तक मेरी माँ घट्म हो चुकी थी। दिनांक 25-05-2000 की घटना से पहले मेरा उमला व बंगाली से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे पिता जी व अन्य घर में किसी व्यक्ति से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। क्योंकि यह पूर्व में इसी तरह के मुकदमें में जेल में गये थे इसलिए हमने शक में इनका नाम लिया था। घटना स्थल आम के पेड़ से पूरब दिशा में करीब चार-छह मीटर पर था। दरोगा जी ने इस घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान दिनांक 31-05-14 को लिया था। मेरे गाँव में भूपति की पुत्री निशा है, जिसे मैं जानता हूँ। वह मेरी बहन जयमाला की सहेली नहीं है। अग्रेतर जिरह में कहा कि मेरे पहुंचने के समय मेरे घर की महिलाएं घर पर मिली थी। उस समय मेरी पत्नी साधना, बहन जयमाला और भाभी सुमन मौजूद मिली थी।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

मेरी भांजी अंजू घर पर नहीं मिली थी। मेरी घर की महिलाओं से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उस समय घर की महिलाएं जाग रही थी। मेरी बहन जयमाला घर पर मौजूद थी। जयमाला ने मुझसे बात नहीं की थी। मेरी माँ रोजाना आम के पेड़ों से लौटकर करीब छह बजे घर पर आ जाती थी। जब हमारी मैं घर पर छह बजे तक नहीं आयी तब हमको उनकी फिक्र हुई और उन्हें देखने आम के पेड़ों के पास गये। मैं आम के पेड़ों के पास पैदल गया था। गांव से आम के पेड़ करीब पाँच सौ मीटर दूर है।-----मैंने अपनी माँ के पहने हुए कपड़ों में खून देखा था, किन्तु मुझे में बाल नहीं देखे थे। मैंने स्वयं घर पर आकर हत्या की सूचना बतायी थी। सभी महिलाओं को माँ की हत्या की बात बताई थी।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० नवीन कुमार जैन द्वारा मृतका के वैजाइनल स्मियर का परीक्षण किया गया है। वैजाइनल स्मियर प्रदर्शक-2 है। उसमें किसी प्रकार के कोई शुक्राणु नहीं मिले थे और कोई स्पर्म मौजूद नहीं था। डा० योगेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 5 द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतका के शरीर में अकड़न गर्दन से पास होकर ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में पैरों में मौजूद थी। धारदार हथियार से कटा हुआ घाव था। कुल मिलाकर 11 चोटें पाई गयी थी। मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव और शाक के कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों और कटे हुए घाव के कारण हुई। उखत घाव धारदार हथियार से आना संभव था। मृतका का बाया फेफड़ा, बायी छाती पर चोटों से टूटा था।

घटना दिनांक 25-05-2014 की है। मृतका का नाम सूरजमुखी है तथा वादी मुकदमा रामभरोसीलाल पी०डब्लू० 1 की पत्नी है। पी०डब्लू० 2 और 3 मृतका के क्रमशः पुत्री व पुत्र हैं। मृतका प्रतिदिन प्रातः 10 बजे बटाई पर लिये आम के पेड़ों की रखवाली के लिए जाती थी। घटना वाले दिन भी वह प्रातः 10 बजे आम के रखवाली करने गयी थी। मृतका की सरी साक्षी पी०पीडब्लू० 2 जयमाला के साक्ष्य में भी आया है कि घटना वाले दिन उसकी माँ आम की रखवाली करने गयी थी। पी०डब्लू० 2 जयमाला माँ को पानी देने के लिए समय लगबग 3-4 बजे गयी थी। उसके साथ बहन संजू भई गयी थी। जब पी०डब्लू० 2 वहाँ पहुंची तो मृतका नहीं मिली। पानी की बाल्टी रखकर जब लौटने लगी तो पेड़ों के पास चरी के खेत से विजौली गाँव के भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली और उमला यादव खेत से निकलते हुए देखे

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
घारा- 302 भा०द०सं०,
व घारा 3(2)(v) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
घारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

गये। भूरा के हाथ में एक चाकू था। अभियुक्तगण गाँव में शराब पीकर घूमते रहते थे। पी०डब्लू० 2 जयमाला को जब माँ नहीं मिली तो वह वापस आ गयी। भाई विजेन्द्र माँ को देखने के लिए 5-6 बजे गया। विजेन्द्र पी०डब्लू० 3 ने आकर बताया कि माँ की लाश चरी के खेत में पड़ी है। फिर घर परिवार के लोग माँ को देखने के लिए घटना स्थल पर गये। पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल के साक्ष्य में आया है कि लड़का विजेन्द्र 25-05-2014 को शाम 05.30 बजे खेत की ओर गया था। लड़के ने आकर घर वालों को बताया कि उसकी माँ चरी के खेत में मृत अवस्था में मिली है। फिर सभी लोग खेतो पर पहुँचे। पी०डब्लू० 1 जब खेत पर पहुँचा तो देखा कि मृतका के शरीर पर गर्दन, जाँघ व गुप्तांगों पर चाकू के कट हुए निशान थे। साक्षी को ऐसा लगा कि मृतका का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में उसी दिन तहरीर प्रदर्शक-1 वेदप्रकाश नामक व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दिया और प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। विवेचक एस०एस० भारद्वाज ने तहरीर लेखक के भी बयान अंकित किये। घटना के पहले मृतका ने पी०डब्लू० 1 रामभरोसीलाल को बताया था कि विजौली गाँव के बंगाली, उमला व भूरा उर्फ भूपेन्द्र जबरदस्ती आम तोड़ ले जाते हैं तथा गालियां भी देते हैं। इस पर पी०डब्लू० 1 ने मृतका को समझाया कि छोटी-मोटी बातों पर लड़ाई करना ठीक नहीं है। तब मृतका ने कहा कि 3-4 आम की बात नहीं है। बोरी भर आम तोड़ ले जाते हैं। जिस समय जयमाला पी०डब्लू० 2 ने मृतका की लाश को देखा वह बदहवास हो गयी तब वादी पी०डब्लू० 1 ने रिपोर्ट लिखा दिया। उसके बाद पी०डब्लू० 2 जयमाला ने बताया था कि घटना वाले दिन 3-4 बजे खेत में पेड़ों पर माँ को पानी देने गयी थी। माँ वहाँ नहीं मिली। जयमाला के साथ अंजू नामक लड़की भी गयी थी। जब जयमाला तथा अंजू घर को चलने लगी उसी समय उन लोगों ने देखा कि चरी के खेत से भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली व उमला खेत से निकल रहे थे। भूरा के हाथ में चाकू था। जयमाला के साथ जो अंजू नाम की लड़की थी वह पी०डब्लू० 1 की बेटी की लड़की थी। जयमाला के साथ अंजू के जाने के बात न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी है और इस बाबत विवेचक को कोई बयान दिया गया।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि न तो अंजू को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न ही उसका नाम तहरीर में

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

उल्लिखित है, इस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध है। यह सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनाक्रम का विश्वकोष नहीं हो सकता। भले ही अंजू नाम की लड़की का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है, इससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस चरी के खेत में मृतका की लाश मिली वह विजेन्द्र सिंह सनौरा का खेत है, उस स्थान को नक्शा नजरी में प्रदर्शित किया गया है। चरी का खेत आम के पेड़ से उत्तर दिशा में है और पास में 3-4 मीटर की दूरी पर उपस्थित होना पी०डब्लू० 1 द्वारा बताया गया है। साक्ष्यों से यह भी साबित है कि घटना वाले दिन पी०डब्लू० 1 शादी से लौटा था। उनके चचेरे भाई की शादी थी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 के साक्ष्य में भी आया है कि घटना वाले दिन से एक दिन पहले बारात में गया था और 25-05-14 को दोपहर में लौटकर आया था। जिन आम के पेड़ों को लेकर घटना कारित की गयी वह गाँव से पूर्व दिशा में एक किलोमीटर दूर हैं। विजौली गाँव पी०डब्लू० 1 के गाँव से एक किलोमीटर दूर तथा दक्षिण दिशा में है। मृतका पानी कभी-कभी स्वयं ले जाती थी और कभी-कभी पुत्री जयमाला भी पानी देने जाती थी। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि मुल्जिमान जबरदस्ती आम तोड़ लेते थे, किन्तु इसकी कभी कोई शिकायत नहीं की गयी। घटना के 2-4 दिन पहले वादी पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल को मृतका ने बताया था कि अभियुक्तगण बंगाली, भूपेन्द्र, उमला आम तोड़ लेते थे। जिस दिन रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उसी दिन वादी पी०डब्लू० 1 का बयान विवेचक द्वारा अंकित कराया गया। रिपोर्ट दर्ज कराने पी०डब्लू० 3 विजेन्द्र भी थाने गया था। पंचनामा पी०डब्लू० 1 की उपस्थिति में किया गया। पी०डब्लू० 3 भी उस समय उपस्थित था। पंचनामा घटना स्थल पर ही सम्पादित किया गया। मृतका की मुट्ठी में बाल मिले थे। पी०डब्लू० 1 रामभरोसीलाल की साक्ष्य में यह भी आया है कि घटना के 15 दिन बात जयमाला ने बताया था कि जब जयमाला को माँ नहीं मिली तो वह पानी रखकर चली गयी। उसी समय उसने देखा कि बंगाली, उमला व भूरा चरी के खेत से निकर रहे थे। पी०डब्लू० 1 की साक्ष्य से यह भी आया है कि विवेचक ने घटना के 2-4 दिन बात बयान लिया था। उसके बाद भी पूछताछ की थी। अंतिम बार पूछताछ के समय वादी ने अभियुक्तगण के नाम विवेचक को बताये थे। घटना स्थल पर जो आम के पेड़ थे उसमें फल लगे थे तब इस बात को साक्षी ने

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

विवेचक को नहीं बताया था। आम के पेड़ों की रखवाली के लिए मृतका 10 बजे करने जाती थी। उससे पहले कोई रखवाली नहीं करता था। अभियुक्तगण द्वारा आम तोड़ने की बात आम के पेड़ों के मालिक को न बताया जाना कदापि घातक नहीं है। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि 2-3 घण्टे बाद जयमाला को होश आ गया था। जिस समय मृतका को देखा गया उस समय मृतका के कपड़े खून में सने हुए पाये गये। तब यह बात विवेचकको नहीं बतायी गयी। घटना स्थल से थाना 4 किलोमीटर दूर है। मृतकाके हाथ में जो बाल मिले थे वह पी०डब्लू० 1 के कथनानुसार विवेचक द्वारा पुड़िया बनाकर कब्जे में ले लिये थे। घटना स्थल पर चरी टूटी थी। जिसको विवेचक ने देखा था। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 को सुझाव के माध्यम से यह प्रश्न किया गया कि सनौरा के बन्टी यादव, सुनील नट की ज्यादा घनिष्टता है और पुत्री जयमाला और भूपति की लड़की की घनिष्टता मृतका को पसंद न आती हो। इस कारण उसकी हत्या उपरीवर्णित लोगों ने की थी। पी०डब्लू० 1 ने इस सुझाव से साफ इंकार किया है। पी०डब्लू० 2 जयमाला के साक्ष्य से यह बात सिद्ध है घटना वाले दिन वह मृतका सूरजमुखी को पानी देने गयी थी। उसी समय चरी के खेत से अभियुक्तगण निकल रहे थे। भूरा के हाथ में चाकू था। जब माँ नहीं मिली तब वह वापस आई। तत्पश्चात भाई विजेन्द्र शाम को देखने के लिए गया तो देखा कि चरी के खेत में सूरजमुखी मृत अवस्था में पड़ी है। पी०डब्लू० 2 के अनुसार विजेन्द्र ने आकर घर वालों को बताया और घर के सभी लोग घटना स्थल पर गये। पी०डब्लू० 2 के अनुसार आम के पेड़ों से माँ की लाश थोड़ी दूर पर मिली। मृतका के शरीर पर चोटों को नहीं देख पाई थी। बाल्टी रखकर चली आई थी। पी०डब्लू० 2 ने निशा नामक लड़की को अपनी सहेली होने से इंकार किया और इस बात से साफ तौर पर इंकार किया कि निशा और जयमाला का कोई अवैध सम्बन्ध किसी अन्य लड़कों से रहे हों। बचाव पक्ष की ओर से बराम्बार इस बात पर बल दिया गया कि जब जयमाला पी०डब्लू० 2 बेहोश हो गयी और 5 दिन तक बेहोश रही तो उसका किसी चिकित्सक से इलाज न कराया जाना उसकी विश्वसनीयता को घात पहुँचाने वाला है। यह संभव है कि जयमाला मृतका के शव को देखकर बेहोश हुई किन्तु पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य के अनुसार कुछ ही घण्टों में उसको होश आ गया। पी०डब्लू० 2 जयमाला ने स्पष्ट रूप से कहा कि उमला ,

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

बंगाली व भूरा को जानती है। माँ की जब से हत्या हुई है तब से जानती हैं। गाँव के आस-पास शराब पीकर घूमते थे। नाम नहीं जानती है। नाम पिता जी जानते थे। पिता जी ने घर पर नाम बताये थे। तब पी०डब्लू० 2 ने अपने पिता को यह बताया था कि उन लोगों ने आरोपी अभियुक्तगण ने माँ को मारा है। बार-बार साक्ष्य में आया है कि 3-4 बजे माँ को पानी देने गयी थी, किन्तु माँ नहीं मिली। माँ की मृत्यु होने की सूचना पी०डब्लू० 3 ने घर आकर दिया और यह सूचना पाकर पी०डब्लू० 2 बदहवास हो गयी। अचानक दुखद समाचार सुनकर बदहवास हो जाना स्वाभाविक है। पी०डब्लू० 2 के साथ पी०डब्लू० 3 ने 06.00 बजे बताया था कि माँ की मृत्यु हो गयी है। प्रति-परीक्षा में पी०डब्लू० 2 जयमाला ने यह भी बताया कि "करीब 4-5 दिन पहले भूरा, बंगाली व उमला को शराब पीते हुये देखा था। मैंने उनको शराब पीते हुये नहीं देखा था गांव में घूमते हुये देखा था। विवेचक द्वारा पूछताछ की गयी, किन्तु विवेचक को शराब पीने वाली बात नहीं बतायी थी। भूरा के हाथ में चाकू होने की बात को प्रति-परीक्षा में दोहराया किन्तु बंगाली व उमला के हाथ में क्या था यह साक्षी नहीं देख सका। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि निशा नामक लड़की और जयमाला के दूसरे लड़कों से सम्बन्ध थे। जिनको मृतका पसंद नहीं करती थी और इसी कारण ज्ञान होने पर उन लोगों ने मृतका की हत्या कि इस सुझाव से साक्षी ने साफतौर पर इंकार किया है। पी०डब्लू० 2 से की गयी प्रति-परीक्षा के पृष्ठ 8 पर यह तथ्य सामने आया जिस समय पी०डब्लू० 2 ने अभियुक्तगण को देखा उस समय कुछ के मुँह छुपे थे और कुछ के खुले थे। अग्रेतर साक्षी ने यह भी कहा कि "मैं पानी की बाल्टी आम के पेड़ के नीचे रखकर चली आई थी। चटाई भी वहीं छोड़कर चली आई थी। यह बात घर पर बताई थी कि आम के पेड़ों के नीचे माँ नहीं है और मुल्जिमान को मैंने निकलते हुए देखा है। चाकू मैंने देखा था वे लोग दूर थे। मैंने चाकू पर हल्का खून लगा देखा था। मैंने चाकू वाली बात अपने घर पर बतायी थी। विवेचक को बतायी थी यह बात ध्यान नहीं है।" पी०डब्लू० 3 विजेन्द्र के साक्ष्य से यह बात साबित है कि 25-05-14 को लगभग 05.30 बजे वह खेत की ओर गया। माँ को तलाश किया तो माँ मृत अवस्था में केत पर मिली। शरीर पर कटे के निशान देखे गये। घटना वाले दिन यह साक्षी भी पिता पी०डब्लू० 1 के साथ बारात गया था और 15-05-14 को दोपहर में बारात से लौटा। इस साक्षी ने

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

घटना स्थल पर माँ के शव के अतिरिक्त अन्य कोई सामान नहीं देखा। इस साक्षी के अनुसार लगभग डेढ़ घण्टे तक घटना स्थल पर रहे। घटना स्थल का खेत विजेन्द्र ठाकुर का खेत है और उन्हीं के खेत में घटना हुई। घटना स्थल के दक्षिण में चन्द्रभान का खेत, उत्तर में किसका खेत है नहीं मालूम। पूरब-पश्चिम में किसका खेत है नहीं मालूम। अभियुक्तगण से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इस साक्षी को भी अवैध सम्बन्ध के बाबत सुझाव दिया गया जिससे उसने साफतौर पर इंकार किया। प्रति-परीक्षा में आया कि जब पी०डब्लू० 3 घटना स्थल से लौटकर आया तब उसने परिवार वालों को मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध में बताया। जयमाला घर पर ही मौजूद मिली। इस साक्षी के अनुसार मृतका रोजाना आम के पेड़ से लौटकर 06.00 बजे आ जाती थी। जब नहीं आई तो चिन्ता हुई और साक्षी देखने गया। गाँव से आम के पेड़ करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अभियुक्तगण का गाँव करीब एक किलोमीटर दूर है। आम के पेड़ों के नीचे बाल्टी रखी हुई मिली थी। इसके अलावा अन्य वस्तु देखने में नहीं आई। माँ की लाश खेत में पूर्व की तरफ थी। इस साक्षी को देखने में मिला कि माँ के कपड़े खून से सने हुए थे, किन्तु माँ की मुट्ठी में बाल नहीं देखे थे। घर आकर महिलाओं को माँ की हत्या के बारे में अवगत कराया था। इस साक्षी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जयमाला बेहोश हुई थी अथवा नहीं। चूंकि वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि मृतका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गयी। इसलिए मृतका के वैजाइनल स्मियर परीक्षण डा० नवीन कुमार जैन द्वारा किया गया किन्तु परीक्षण में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया, जैसे कि प्रदर्शक-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी०डब्लू० 5 द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया। शव में अकड़न मौजूद थी। चोट सं० 2, 3, 4, 5, 8, 9 तथा 10 धारदार हथियार से कारित की गयी प्रतीत हुई। शेष चोटें नीलगू तथा खुरसठ के निशान थे। कण्ठनली व स्वर नली फटी थी। गर्दन के ऊपर के टिशू फटे, छाती पसलियां 1, 2, 3, 4 टूटी थी। स्वास नली व खाने की नली में घाव था। बांया फेफड़ा भी टूटा था। बड़ी रक्तनलिका में भी घाव था। मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव व शाक के कारण हुई। घाव धारदार हथियार से कारित किया गया था। विवेचक एस०एस० भारद्वाज पी०डब्लू० 6 के द्वारा विवेचना अग्रसारित की गयी थी। नक्शा नजरी प्रदर्शक-4 तैयार किया गया। विवेचना

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

उपरान्त आरोप पत्र प्रदर्श क-5 न्यायालय में प्रेषित किया गया। पी०डब्लू० 6 के अनुसार पूर्व विवेचक द्वारा घटना स्थल से बरामद किया गया। मृतका के हाथ में मिले बाल तथा सिर के बाल तथा अभियुक्त भूरा से बरामद चाकू रासायनिक प्रयोगशाला व बैलेस्टिक जाँच हेतु भेजा गया। कथित बरामद चाकू का प्रयोग हत्या में हुआ था। इस सम्बन्ध में भूरा के बताने के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं मिला। नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 को भी साबित किया गया है। पी०डब्लू० 7 शैलेन्द्र द्वारा वस्तु प्रदर्श-1 खून आलूदा मिट्टी, वस्तु प्रदर्श-2 प्लास्टिक की पन्नी, वस्तु प्रदर्श क-3 डिब्बी, वस्तु प्रदर्श-4 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-5 सादा मिट्टी, वस्तु प्रदर्श-6 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-7 डिब्बी, वस्तु प्रदर्श-8 सील्ड कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-9 पुड़िया A (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-10 पुड़िया B, वस्तु प्रदर्श-11 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-12 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-13 पुड़िया A (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-14 पुड़िया B (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-15 पुड़िया C (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-16 पुड़िया D (बाल मृतका), वस्तु प्रदर्श-17 पुड़िया E, वस्तु प्रदर्श-18 पन्नी, वस्तु प्रदर्श-19 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श-20 बरामद चाकू, वस्तु प्रदर्श-21 सील कपड़े तक तैयार किये गये। पी०डब्लू० 7 के अनुसार जिस दिन भूरा गिरफ्तार किया गया उस दिन तलाश वांछित अपराधी मामूर था। मेरे पास पिस्टल थी हमराही सुशील व मनोज के पास क्या असलहा था याद नहीं। हम लोगों की रवानगी का समय डाला गया था। प्रतापपुर चौराहे से पूरब दिशा में तीन किलोमीटर की दूर पर मुखबिर प्रतापपुर चौराहे पर पहुंचने से पहले मिल गया था। मुखबिर ने कुढी मोड़ पर बताया था। तब हम प्रतापपुर चौराहे पर गये। गाड़ी प्रतापपुर चौराहे पर तथा मुखबिर को वहाँ पर छोड़ झाड़ियों में छिपकर गये। पब्लिक के गवाह को साथ नहीं ले गये थे। मुल्जिम को पकड़ा गया। फर्द तैयार करायी गयी जिस पर हमरारियों के हस्ताक्षर कराये थे। सील बण्डल पर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये थे।

अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र पुत्र राधेश्याम यादव उर्फ गोलइयाँ, निवासी- ग्राम विजौली, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद के कब्जे से दिनांक 01-06-14 को थाना प्रभारी खैरगढ श्री शैलेन्द्र यादव द्वारा हमराही सिपाहियों के साथ मृतका सूरजमुखी की हत्या में प्रयुक्त चाकू (आला कत्ल) बरामद किया गया। जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श क-17 है। उक्त अभियुक्त को और उसके कब्जे से एक अदद चाकू समय 08.20 बजे

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

बरामद किया गया। सड़क इस आने जाने वाले राहगीरों ने गवाही देने से इंकार किया। जामा-तालाशी की गयी और उक्त नाजायज चाकू बरामद किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर श्री शैलेन्द्र यादव द्वारा थाना खैरगढ पर मु०अ०सं० 135/14, अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद विरुद्ध अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव दिनांक 01-06-14 को समय 09.30 पर पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क-20 है जिसकी प्रविष्टि उसी तिथि को रोजनामचाआम में रपट सं० 21 के रूप में की गयी। जो पत्रावली पर प्रदर्श क-21 है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29-08-14 को सत्र सुपुर्द की गयी क्योंकि नाजायज चाकू मु०अ०सं० 134/14 से सम्बन्धित था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रदर्श क-2 प्रेषित किया गया। नक्शा नजरी प्रदर्श क-1 में अक्षर "A" से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त नाजायज चाकू के सम्बन्ध में विशेष सत्र वाद सं० 579/2014 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का विचारण विशेष सत्र वाद सं० 255/2014 के साथ किया गया। इस सम्बन्ध में उपनिरीक्षक हरवीर सिंह पी०डब्लू० 1 को परीक्षित किया गया। जो दिनांक 01-06-14 को थाना खैरगढ में तैनात था तथा उनके द्वारा विवेचना अग्रसारित की गयी। नक्शा नजरी प्रदर्श क-1 उनके द्वारा तैयार किया गया। उस पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रदर्श क-2 प्रेषित किया गया। इस साक्षी जिरह की गयी। प्रति-परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं लाया जा सका जिसेस विवेचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि इंगित हो। प्रति-परीक्षा में कहा कि थाने से चाकू बरामदगी का स्थान 11 किलोमीटर दूर है। थानाध्यक्ष की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। उनके बयान अंकित किये गये।

उपरीवर्णित एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विश्लेषण यह सिद्ध है कि मृतका सूरजमुखी दिनांक 25-05-14 को आम के पेड़ों की रखवाली के लिए गयी। यदा-कदा परिवार के अन्य सदस्य भी रखवाली के लिए जाते थे। घटना वाले दिन मृतका की पुत्री पी०डब्लू० 2 जयमाला अपनी माँ को पानी पहुँचाने के लिये गयी थी। पानी की बाल्टी वही पर रख दिया। माँ को इधर-उधर देखा किन्तु माँ नहीं मिली। लगभग 3-4 बजे के आसपास गयी थी। आम के पेड़ गाँव से लगभग 500-1000 मीटर की दूरी पर स्थित

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) ए०सी०/ए०सी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुष अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

हैं। माँ के न मिलने पर जब वह घर चलने को हुई उसी समय उसने अभियुक्तगण को चरी के खेत से निकलते हुए देखा। उसमें से कुछ के चेहरे बंद व कुछ के खुले थे। भूरा उर्फ भूपेन्द्र के हाथ में चाकू भी देखा गया। यह बात उसने अपने पिता रामभरोसेलाल पी०डब्लू० 1 को बताई। घटना के 15 दिन के बाद बताई थी। जयमाला पी०डब्लू० 2 ने घर पहुँचने के उपरान्त उसका भाई विजेन्द्र भी खेतों की ओर गया। लगभग 05.30 बजे के आस-पास गया, किन्तु माँ नहीं दिखाई पड़ी तब उसने आस-पास तलाश किया। माँ चरी के खेत में मृत अवस्था में मिली। उसके शरीर पर व गुप्तांग पर कट के निशान थे। कपड़े खून से सने हुए थे। यह बात उसने पुनः अपने घरवालों को बताई। पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल व पी०डब्लू० 2 जयमाला व परिवार के अन्य सदस्य घटना स्थल पर गये। घटना से लगभग 3-4 दिन पूर्व मृतका ने अपने पति पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल को बताया था कि अभियुक्तगण जो बगल के गाँव के निवासी हैं, आम तोड़ ले जाते हैं और गाली-गलौज भी करते हैं। इस पर वादी पी०डब्लू० 1 ने अपनी मृतका पत्नी को समझाया की झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं है। घटना के एक दिन पूर्व 24-05-14 को पी०डब्लू० 1 रामभरोसेलाल व पी०डब्लू० 2 विजेन्द्र बारात में गये थे और घटना वाले दिन अपराह्न में बारात से लौटकर आये थे। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि साक्ष्यों के अनुसार पी०डब्लू० 2 जयमाला माँ की लाश देखने के बाद बेहोश हो गयी और 5 दिन तक बेहोश रही। इसलिए उसको अपने पिता को घटना के सम्बन्ध में कोई बात बताना विश्वसनीय नहीं है। पी०डब्लू० 2 जयमाला घटना स्थल पर गयी थी इस बात के सुसंगत एवं अकाट्य साक्ष्य पत्रावली पर हैं। माँ की मृत्यु के पश्चात व सूचना पाकर बेहोश हुई किन्तु कुछ घण्टे पश्चात उसको होश आ गया। जहाँ तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण के नामों का उल्लेख नहीं है और इस कारण अभियोजन कथानक पूर्णतः संदिग्ध और कदापि तर्क संगत नहीं है, क्योंकि पी०डब्लू० 2 जयमाला जब प्रथम बार घटना स्थल पर गयी तो उसे माँ नहीं मिली तब पी०डब्लू० 3 विजेन्द्र मौके पर गया था और माँ को मृत अवस्था में पाया। चूंकि वादी इस सम्बन्ध में सटीक तौरपर निश्चित नहीं था कि घटा किस व्यक्ति ने कारित की है इस कारण अज्ञात में तहरीर प्रस्तुत की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के नाम विवेचक को बताये गये। अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अभियोजन नाजायज चाकू की बरामदगी को सिद्ध करने में सफल रहा है कि घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। मृतका की मुट्ठी से बाल मिले थे और उसके सिर के बाल भी कब्जे में लिये गये। मामले में खून आलूदा व सादा मिट्टी की फर्द तैयार की गयी। अभियोजन फारेंसिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को पत्रावली पर उपलब्ध कराने में असफल रहा है, किन्तु मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर के साक्ष्य के अनुसार मृतका को जो चोटें कारित हुई थी वह धारदार हथियार से कारित हुई थी। फोटोनाश के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाकू से मारकर मृतका की हत्या की गयी। मौखिक साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं। मृतका का घटना वाले दिन आम के पेड़ों की रखवाली करने जाना, सांयकाल में पी०डब्लू० 2 जयमाला का अपनी माँ को पानी देने के लिए जाना, अभियुक्तगण का चरी के खेत से निकलते हुए देखा जाना, पी०डब्लू० 3 द्वारा भी घटना स्थल पर पानी की बाल्टी देखा जाना, अभियुक्तगण द्वारा आम के पेड़ों से आम का तोड़ा जाना, अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किया जाना, अभियुक्तगण का शराब पीकर गाँव में इधर-उधर घूमना वह परिस्थितियां हैं जिन्हें अभियोजन अकाद्वय एवं विश्वसनीय साक्ष्यों के आलोक युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि पी०डब्लू० 2 जयमाला और एक निशा नामक लड़की सनौरा नामक गांव के व्यक्तियों से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका प्रतिरोध मृतका करती थी और सनौरा गाँव के उन बालकों ने मृतका की हत्या की है, किन्तु उक्त तर्क कदापि साक्ष्यों से साबित नहीं है और ना ही चुनावी रंजिश के कारण फंसाये जाने का तर्क भी तर्क संगत है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में मृतका सूरजमुखी की साशय हत्या की गयी। अभियुक्तगण द्वारा यह हत्या यह जानते हुए कि गयी कि मृतका अनुसूचित जाति की सदस्य थी। अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र के कब्जे से नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। उक्त बरामदगी अभियोजन संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली यादव एवं उमला यादव अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 3(2) (V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण भूरा उर्फ भूपेन्द्र, बंगाली यादव एवं उमला यादव को आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2) (V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र को आरोप अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण उमला यादव एवं बंगाली यादव पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। शेष अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र जमानत पर है, उसकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 23.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति की महिला के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गरीब परिवार से हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०दं०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैराब, जिला-फिरोजाबाद

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त भूरा उर्फ भूपेन्द्र निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 3(2) (V)एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास व मुव० 50,000/- (पचास हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे छः माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए एक वर्ष का कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त उमला यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 3(2) (V)एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास व मुव० 50,000/- (पचास हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे छः माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त बंगाली यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 3(2) (V)एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास व मुव० 50,000/- (पचास हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे छः माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 255/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र आदि
मु०अ०सं०- 134/2014,
धारा- 302 भा०द०सं०,
व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 579/2014
UPFD010027642014
राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र यादव
मु०अ०सं०- 135/2014,
धारा- 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- खैरगढ, जिला-फिरोजाबाद

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

निर्णय की एक सत्यप्रतिलिपि विशेष सत्र परीक्षण वाद सं० 579/2014 राज्य बनाम भूरा उर्फ भूपेन्द्र मु०अ०सं० 135/14 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद की पत्रावली में रखी जाए।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि मृतका सूरजमुखी के विधिक वारिसान को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

बाद मियाद अपील वस्तु प्रदर्श एवं बरामद माल नियमानुसार विनष्ट किया जाय।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 23.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 23.08.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
फिरोजाबाद।

ID NO UP6193